Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज देवराज सिंह व अन्य बनाम विष्णु कंवर फौ. निगरानी संख्या – 27/2022(19/2019) 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2026	निगरानीकर्ता अनुपस्थित। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता श्री हेमन्त जैन उपस्थित। गैरनिगरानीकर्ता श्रीमती विष्णु कंवर उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। इस आदेश द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 29–08–2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब गैरनिगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 28–11–2025 को पेश किया गया। बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क् रहा है कि यह निगरानी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी द्वारा दिनांक 24–07–2019 को फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 81/2018 में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने बाबत् विशेष प्रावधान धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है, इसलिए इस निगरानी को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के साथ धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अपील के रूप में ट्रीट किया जाना न्यायोचित है क्योंकि विधि का उल्लेख अभिवचनों/पिटीशन में किया जाना आज्ञापक नहीं है। यदि तकनीकी आधार पर निगरानीकर्ता को न्याय नहीं मिलता है तो उससे उसे काफी नुकसान होगा। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत निगरानी को अपील के रूप में ट्रीट किए जाने का आदेश दिया जाए। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता का का तर्क रहा है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को प्रारम्भ से ही धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश दिनांक 23–05–2025 में स्पष्टतः यह आदेश पारित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी याचिका को गलत रूप से Entertain किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने निगरानी याचिका को अपील के रूप में ट्रीट किए जाने का कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए दिनांक 24–07–2019 के विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर हस्तगत निगरानी को खारिज किया जाए। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 16–09–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज देवराज सिंह व अन्य बनाम विष्णु कंवर फौ. निगरानी संख्या – 27/2022(19/2019 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2019 को विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24–07–2019 के विरूद्ध यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात दिनांक 12–11–2024 को इस न्यायालय द्वारा गैरनिगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् प्रारम्भिक आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया गया, जिस पर उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गई एस.बी.क्रि.मिस.(पिटीशन) नंबर 8571/2024 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस न्यायालय द्वारा धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे आदेश के सम्बंध में स्पष्ट रूप से अपील के प्रावधान होने के बावजूद भी निगरानी याचिका को गलत रूप से Entertain किया गया है। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से यह जाहिर होता है कि निगरानीकर्ता के योग्य अधिवक्ता को उपरोक्त प्रावधान की जानकारी थी लेकिन उसके बावजूद भी हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई तथा वर्ष 2019 में उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात भी इतने वर्षों तक उक्त आशय का कोई प्रार्थनापत्र पेश नहीं नहीं किया गया, जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 23–05–2025 में उक्त Finding दी गई, उसके पश्चात उक्त प्रार्थनापत्र इस निगरानी को अपील के रूप में ट्रीट किए जाने बाबत् पेश किया गया है। उक्त प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई तथ्य भी अंकित नहीं किया गया है कि सहवन से यह निगरानी पेश की गई है। इसके अलावा यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 23–05–2025 में भी इस निगरानी को अपील के रूप में ट्रीट किए जाने बाबत् कोई आदेश नहीं दिया है, ऐसी स्थित में पत्रावली पर मौजूद तथ्यों व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी गलत रूप से पेश की गई है तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर इसे अपील के रूप में ट्रीट किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 29–08–2025 को प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए। पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज देवराज सिंह व अन्य बनाम विष्णु कंवर फौ. निगरानी संख्या – 27/2022(19/2019 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए